# -ः तृतीय अध्याय ः-

## -: तृतीय अध्याय :-

## आधुनिक परिवेश में नारी -

प्रस्तावना -

१] वैदिक काल और मध्य काल का संक्षेप में परिचय -

२] आधुनिक परिवेश में नारी की स्थिति -

अ] राजनीतिक क्षेत्र में नारी -

ब] सामाजिक क्षेत्र में नारी -

क] साहित्यीक क्षेत्र में नारी -

३] आधुनिक परिवेश में परिवार एवं घरेलू वातावरण में नारी -

अ] उच्च वर्गीय परिवार में नारी -

ब] मध्य वर्गीय परिवार में नारी -

क] निम्न वर्गीय परिवार में नारी -

४] नारी सुधार के आंदोलन -

५] नारी सुधार के लिए कानून की व्यवस्था -

६] स्वातंत्र्योत्तर काल की भारतीय नारी -

अ] शिक्षा क्षेत्र में नारी -

ब] नौकरी पेशा नारी -

क] समस्याएँ हल करने के लिए कुछ सुझाव -

१] पति का सहयोग -

२] नव - नविन यंत्र -

३] संगोपन गृह -

७] विवाह एवं तलाक संबंधी समस्याएँ -

अ] लडकियों के विवाह में दहेज - एक समस्या -

ब] अतिशिक्षीत लडकियों का विवाह - एक समस्या -

क] समाज रूप का पुजारी -

ड] प्रेम विवाह या आंतरजातीय विवाह -

इ] विधवा विवाह समस्या -

ई] तलाक समस्या -

निष्कर्ष -

x-x-x-x-x-x-x-x

## तृतीय अध्याय

## "आधुनिक परिवेश में नारी"

### प्रस्तावना :-

साहित्य और जीवन का संबंध पर्जन्य और धारा के समान अटूट रहा है। तो स्त्री और पुरुष उस समाज के दो पहलू है, जैसे एकही सिक्के के दो अंग लेकिन साहित्य में नारी को पुरुष से ज्यादा महत्व दिया गया है। किन्तु समाज में उसी नारी का छल किया जाता है। उसे अबला, निर्बल कहकर सामाजिक बंधन में जकड़ा जाता है। आधुनिक समाज में नारी अबला होते हुए भी क्षमाशील और त्याग की मूर्ति है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर कार्य करने लगी है। इतना ही नहीं तो उसकी कार्य करने की लगन, अनूठी जिद्द, संवेदन क्षमता पुरुष से बराबर है। ऐसा हम कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

### वैदिक काल और मध्यकाल को संक्षेप में परिचय :-

वैदिक काल से लेकर आज तक नारी की स्थिति एवं गति में बृहद अंतर आया है। वैदिककाल नारी के आदर एवं सम्मान का काल था। हर क्षेत्र में

SHIVAJI UNIVERSITY LIBRARY KOLHAPUR

नारी को काफी स्वतंत्रता थी। वह अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थी, प्रेम-विवाह भी कर सकती थी। विधवा विवाह के लिए भी पर्याप्त आवकाश था। पारिवारीक कार्यों में वह पुरुषों की सहायता करती थी। पुरुष जीविकोपार्जन में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थी का दायित्व पत्नीपर ही रहता था। धार्मिक कार्यों में भी पत्नी की उपस्थिति आवश्यक थी।

ऋग्वेद में अनेक स्थलोंपर पति-पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से यज्ञ करने का उल्लेख है। धार्मिक क्षेत्र के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी नारी का योगदान बड़ा भारी था। सामाजिक क्षेत्र में उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी। पर्दा-प्रथा का प्रचलन बिलकुल नहीं था। सामाजिक समारोह में, युद्धक्षेत्र में नारी का कार्य देदीप्यमान था। इस प्रकार वैदिककाल में धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से नारी समाज का महत्वपूर्ण और क्रियाशील अंग रही।

परंतु नारी कीयह उच्च स्थिति अधिक समयतक बन नहीं पाई। वैदिक काल में उसे सम्मान के ऊँचे कगारपर पहुँच दिया परंतु परवर्ती युग में उसे उतने ही झटके से नीचे खींच दिया गया। वैदिक काल के पश्चात् उसकी करुणातम कहानी का प्रारंभ हुआ। उसका गौरव और उसकी महिमा अँधियारी गुफा में खो चुकी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाला सिध्दान्त मिट्टी में मिला दिया गया। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में उसका प्रवेश अवैध माना जाने लगा। नारी को घर की चहार दिवारी में बंद किया गया। अपने पैरोंपर खड़ी नारी को पंगु बना दिया। मध्यकाल के अंत ब्रह्द अंत में नारी का करुण क्रन्दन सुनकर अनेक समाजसुधारक बौखला उठे। उन्होंने नारी की स्थिति में सुधार करने का बिड़ा उठाया। जिनमें राजाराममोहन राय, धोंडोपंत कर्वे, म. फुले, दुर्गाराम मेहता, नर्मदा शंकर, सैयद अहमद शैलवी, चिराग अली, मौलवी करामत अली आदि नाम उल्लेखनीय है।

इन महर्षियों के अथक परिश्रम से नारी के पैरों में पड़ी बंधन बेडियाँ टूट पड़ी। आधुनिक काल में नारी को काफी स्वतंत्रता मिली है। आज नारी हर क्षेत्र में पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी है। आज ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है, जहाँतक नारी की पहुँच न हो। नारी में कार्य करने की लगन और

अनूठी सिद्ध है। इसी कारण वह जो भी कार्य हाथ में लेती है, उसे पूरी सफलता के साथ सिद्ध करके दिखाती है।

## आधुनिक परिवेश में नारी की स्थिति :-

### राजनीतिक क्षेत्र में नारी :-

इस क्षेत्र में भी नारी पुरुष के समान अधिकारीणी है। वह पुरुषों के समान शासन भी करती है। सरोजिनी नायडू हमारे देश में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी। इतना ही नहीं विजयालक्ष्मी पंडित, [रूस में राजदूत] पद्मजा नायडू, [बंगाल की राज्यपाल] अरुणा आसफ अली [दिल्लीकी महापौर] आदि महिलाओंने भी महत्वपूर्ण पदोंपर सफलतापूर्ण कार्य किया है। इतना ही नहीं भारत की प्रधान-मंत्री भी एकमहिला थी। प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिराजीने नारी शक्ति का सर ऊँचा किया है।

आधुनिक काल के पूर्वार्ध में कुछ गिनी-चुनी स्त्रियाँ ही राजनीतिक क्षेत्र में [illegible] थी। परंतु आधुनिक काल के उत्तरार्ध में सामान्य से सामान्य [illegible] नारी भी राजनीति से अछूती नहीं रह सकती। आज के कानून ने तो हर क्षेत्र में नारियों के लिए तीस प्रतिशत जगह खुली कर दी है। फिर भी इस क्षेत्र में बहुत ही कम स्त्रियाँ हिस्सा लेती है। पुरुषों की अपेक्षा इस क्षेत्र में नारियों की संख्या अल्प दिखाई देती है।

### सामाजिक क्षेत्र में नारी :-

आधुनिक परिवेश में नारी की स्थीति में निश्चित रूप से सुधार आया। नारी भी समझने लगी कि वह केवल घर के लिए ही नहीं है बल्कि समाज और देश के प्रति भी अपना कुछ दायित्व है। नारी का स्थान समाज में बनाये रखने के लिए कानून ने उसकी मदद की। कानून के द्वारा सभी क्षेत्र में उसे पुरुष के समान अधिकार मिल गये है। उसी कारण समाज का उसके प्रति देखने का दृष्टिकोन भी बदल गया है। आज वह स्वतंत्र भारत में स्वच्छन्दता से साँस ले रही है। ———"सामाजिक दोषों के कारण जो

शोषण युगों से नारी का हो रहा था वह समाप्त हो गया।"[1]

आज परिवार में भी नारी का विशिष्ट स्थान है। अब परिवार नियोजन ने भी नारियों को सतत मातृत्व का भार उठाने से मुक्ति दी है। वह सिर्फ परिवार में नहीं ; परिवार के बाहर भी उसने अपने अस्तित्व की जड़े जमायी है। परंतु आज भी समाज का नारी के प्रति देखने का दृष्टिकोन थोडा प्राचीनतम ही है। संभव है, धीरे-धीरे नारी का यह नया रूप पहचानने की हिम्मत उसमें आ जायेगी।

साहित्यिक क्षेत्र में नारी :-

यह क्षेत्र भी नारी से अछूता नहीं रहा। देशों की राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में जैसे-जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे-वैसे साहित्य भी बदलता जाता है। कहा गया है कि, "साहित्य समाज का दर्पण है।" युग तो बीत जाता है। परंतु साहित्य में हम उस बीते हुए युग की विभिन्न परिस्थितियों को देख सकते हैं :- "जिस प्रकार मेघ सागर के क्षार-जल का पान कर पृथ्वी को मधुर जल देते है, उसी प्रकार साहित्यकार समाज के भावों और विचारों का परिष्करण करता हुआ जनता के सम्मुख उन्हें सरस रूप में अभिव्यक्त करता है इसलिए लेखक के द्वारा निर्मित सामाजिक भाव आज की नेतृत्व-शक्ति बन जाते है।"[2]

जो काम तोप, तलवार, बम के द्वारा नहीं हो सकता वह साहित्य द्वारा हो सकता है। अतःएव इन महिला लेखिकाओं ने समाज में परिवर्तन लाने के लिए, स्त्रियों के विविध प्रश्नों को उजागर करने के लिए साहित्य का साधन रूप में उपयोग किया है। इन में महादेवी वर्मा, उषा प्रियवंदा, रजनी पनिकर, अमृता प्रीतम, मन्नू भण्डारी, कमला चौधरी, सुभद्राकुमारी चौहान, कंचनलता सब्बरवाल, दिप्ती खंडेलवाल शिवानी, कृष्णा सोबती, श्रीमती कान्ता सिन्हा, इन्द्रा स्वप्ना और वीणा सक्सेना आदि अनेक लेखिकाओं का योगदान महत्वपूर्ण है।

---

१] उमेश माथुर : आधुनिक युग की हिन्दी लेखिकाएँ प्र. वर्ष -१९७५ :पृ.:४०.

२] डॉ. धर्मपाल सरीन : हिन्दी साहित्य और स्वाधिनता संघर्ष : सं. वर्ष : १९७३. पृ.:१७.

इनके साथ सर्व सामान्य स्त्रियाँ भी पत्र-पत्रिकाओं , विविध अंकों द्वारा अपनी भावनाएँ , समस्याएँ प्रकट कर रही हैं। क्योंकि नारी समस्याओं के बारे में जितना अधिक नारी जान सकती है , उतना पुरुष लेखक नहीं।

इन महिला लेखिकाओंने साहित्य के माध्यम से नारी-जागरण एवं नारी समस्याओं को प्रकट करने की जिम्मेदारी अपने कंधोंपर ली है। और स्वतंत्रता के पश्चात गुलाम बनी नारी की मुक्ति के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे है।

आधुनिक परिवेश में परिवार एवं घरेलू वातावरण में नारी :-

राजनीतिक वातावरण के परिवर्तन के साथ ही नारी जागरण आरंभ हुआ। आधुनिक परिवेश में नयी मान्यतायें जनमानस में अपना रोब जमाने लगी। धार्मिक अंधविश्वास , आडम्बर , अनुदारता , रूढियाँ आदि को दूर कर सच्चे धर्म को समझाने पर जोर दिया गया। नारी को मानवी रूप में स्वीकार कर उसके मानवीय अधिकारों का प्रश्न इसी काल में सुधारकोंद्वारा उठाया गया :———"भारत माता के मंदिर में जो दीप जला उसके आलोक से मातृ-प्रतिमा के चरण ही नहीं आलोकित हुए , भारत की अधोमुखी नारी की मुख छवि उज्वल हुई।" १

स्वतंत्रता के पश्चात , नारी की स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया। लोगों के विचार में भी आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। उसे पहले से काफी स्वतंत्रता मिली। अब वह स्वयं अर्थोपार्जन करके परिवार को बसा लेती है। गृहिणी के दायित्व के साथ कई दायित्व उसपर आ पडे है। परंतु इसके साथ जीवन में नव-नवीन प्रश्न निर्माण होते जा रहे है। यह सब शिक्षीत नारी के लिए सच है , लेकिन अशिक्षीत नारियाँ अपने पैरोंपर खडी नहीं है। उसका परिवार में स्थान मध्यकालीन नारी के समान [illegible] है। कानून से कोसों दूर रहने के कारण वह कुछ पढ़ नहीं सकती। तो आज नारियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा और नारी-शिक्षा की आज भी जरूरत है।

---

१) महादेवी वर्मा : संभाषण : पृ. : ९१.

उच्चवर्गीय परिवार में नारी :-

१९४७ में भारत को स्वतंत्रता मिली और उसी के साथ ही नारी को भी आजादी मिली। उसने परिवार में अपना स्थान बना लिया है। जो नारियाँ स्वावलंबी है, वे अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है। पति को परमेश्वर नहीं समझती। फिर भी, वह मर्यादाओं का उलंघन नहीं कर पाती। पति के साथ परिवार का जिम्मा भी उसके कंधेपर रहता है। अतएव कुछ पति अपनी पत्नी को गुलाम सादृश नहीं मानते। पति-पत्नी दोनों विचार विनिमय करके घरके को सँभालते रहते है। दोनों में कुछ हद तक समझौता रहता है। उन्हें एक-दूसरेपर वार करने की अपेक्षा एक-दूसरे को सँभाल लेने में आनंद मिलता है। फिर भी समाज में जो नौकरपेशा, सुशिक्षित नारियाँ है, उनपर घर की ज्यादा जिम्मेदारी आ पड़ती है। तो आधुनिक युग की नारी ऐसी जिम्मेदारियाँ खुशी-खुशी से स्वीकार करती है। परंतु पति एवं परिवार के सदस्योंद्वारा उचित सहयोग बहुत कम मिलता है।

समाज में "विशिष्ट-वर्ग" की कुछ नारियों में पश्चिमी सभ्यता हवी हो गई है। ऐसी नारियाँ स्वतंत्रता का गैरफायदा उठाती है। क्लब में जाना, पार्टियों में शामिल होना, पर पुरुषों के साथ खुले आम घूमना-फिरना उन्हे अच्छा लगता है। ——————"वह पुरुष की भार्या बनकर नहीं अपितु एक [illegible] सक्षम संगिनी बनकर जीना चाह रही है।" [1] भारतीय परिवेश में रहकर पश्चिमी सभ्यता का लिहाज [illegible] पहनकर वह परिवार का मधुर-भाव समाप्त कर देती है। ऐसी नारियों के लिए शिवसत्यानंद ने लिखा है ——————"स्त्री के स्त्रीत्व को ठुकरा देनेवाली कोई भी योजना स्त्री का विकास नहीं कर पायेगी।" [2] [illegible] स्त्री को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह नहीं की वह कुछ भी करे। पारिवारीक एकसूत्रता के लिए स्त्री को अपनी सीमाओं में रहकर ही स्वतंत्रता का उपयोग करना चाहिए। इसमें पति, संतान, परिवार और स्वयं उसका भी हित है।

---

१] डॉ. सावित्री डागा : आधुनिक हिन्दी मुक्तक काव्यों में नारी : प्र. वर्ष : १९७७ : पृ. :३२.

२] राष्ट्रदीपिका अंक : फरवरी : १९७६ : पृ. : ८७.

परंतु भारतीय समाज में ऐसी स्त्रियों की संख्या अत्यल्प है। भारत की आम नारियाँ आज भी मुक्त-स्वैराचार से कोसों दूर है।

मध्यमवर्गीय परिवार में नारी :-

इस काल में मध्यमवर्गीय नारी का स्थान मध्य काल की नारी के समान ही ज्यों का त्यों रहा है। जीवन मूल्य परिवर्तित हो रहे है। लेकिन उसके अनुरूप बदलने की क्षमता पति एवं परिवार के लोगों में नहीं आ पायी। फलस्वरूप मध्यम-वर्ग की नारी की स्थिति शोचनीय हो रही है। बढ़ती महँगाई के कारण उन्हे नौकरी करना आवश्यक-सा हो गया है। वह घर परिवार को संभालकर नौकरी करने लगती है। तो उसके सास-ससूर उस पर टीका-टिप्पणियों की बौछावर करते है। उन्हें लगता है कि वह बहू बनकर रहे, उनके सम्मुख आँचल ओढकर सतत उनकी खातिर करें। लेकिन आधुनिक नारी के यह सब विषय असंभव बनते है। स्पष्ट है, जमाने के अनुरूप स्वयं को बदल न सकने के कारण ऐसे लोग अपने साथ औरों की जिन्दगी हराम करते है। बेचारी मध्यमवर्ग की नारी इतना सारा कष्ट उठाकर भी परिवार में उसका कोई मूल्य नहीं होता।

दूसरी और पति भी उसका शोषण करता है। आज भी पुरूष प्राचीन संस्कारों से ग्रस्त है। वह अपनी पत्नीपर रौब जमाना पसंद करते है। अगर पत्नी कुछ विरोध करे तो उसपर कठोर प्रहार किया जाता है। समाज में कुछ नारियाँ पुरूषपर आश्रित है उनकी भी स्थिति गुलाम सादृश है। क्योंकि नारी पर तो परंपरागत संस्कार हुए हैं, वे उसे विद्रोह से दूर हटाते है। और ऐसे राक्षस पति उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ऐसी नारियों को परिवार में कुछ स्वतंत्रता नहीं रहती। घर की चार दिवारी में दबकर रहना पडता है।

आधुनिक परिवेश में नारी की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी कुप्रथाओं को मिट्टी में मिलाया है, फिर भी आज की नारी सही अर्थ से स्वतंत्र नहीं हो पाई। इसके लिए परिवार के लोग और पति दोनो जिम्मेदार हैं। वे अगर नारी के प्रति उदार दृष्टिकोन रखें तो नारीस्थिति में बहुत-कुछ

परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ ही नारी जागरण की नितान्त आवश्यकता है।

## निम्नवर्गीय परिवार में नारी :-

"उच्च-वर्ग" और "मध्यम-वर्ग" की नारी की तुलना में इस वर्ग की नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। परिवार में इनके लिए कोई स्वतंत्रता नहीं। पति एवं परिवार के लोगों के खिलाफ एक लब्ज भी निकालने का अधिकार उन्हें नहीं है। देहातों में आज भी नारी की स्थिति वहीं है। संयुक्त परिवार में चारों ओर से नारी का शोषण होता है। देहातों में आज भी संयुक्त-परिवार है। सास, ससुर, ननद, पति सभी उसपर सतत अन्याय करते है। हमेशा उसे मायके से कुछ न कुछ लाने [illegible] के लिए कहा जाता है। अगर कुछ लाया नहीं, तो उसे बुरी तरह पीटा जाता है, तन-बदन को दागा जाता है। घर से निकालने की धमकी दी जाती है। फिर भी निम्न वर्ग की नारी चुप रहकर वेदना के कड़ुए घूँट पीती रहती है। क्योंकि एक तो अशिक्षीत, पुरुषपर सर्वथा आश्रित रहती है। अगर विरोध करने की कोशिश भी करे तो जाये कहाँ ? बेचारी चुपचाप अन्याय को सहन करती रहती है।

निम्न वर्ग की नारी को पति तो सिर्फ भोग की वस्तु मानता है। उसका भोग लेता है, और काम निकल जाने पर उसे ऐसा ठुकराता है जैसे रास्तेपर पड़ा पत्थर। ऐसी अशिक्षीत, निम्न-वर्ग की नारियों का घर परिवार में मूक गाय, भोग्या, गुलाम सदृश स्थान है। उसका मालिक उसपर आधिपत्य जमाता है। घरवाले उसे त्रस्त करते है और असहाय नारी गाय बनकर सहती रहती है।

अब हम कह सकते है कि आधुनिक परिवेश में नारी को काफी अधिकार मिले हैं, कानून ने भी उसे आश्रय दिया, नारीशिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ परंतु इसका लाभ अत्यल्प नारियों ने ही लिया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। अतः नारी-जागरण और नारी-शिक्षा की आज भी आवश्यकता है। यह कार्य भारत के चप्पे-चप्पे में होना आवश्यक है। इसके साथ समाज में यह भावना निर्माण होनी चाहिए ——— "पारिवारीक जीवन की मधुरता के लिए स्त्री-पुरुष दोनों के त्याग और परस्पर प्रेम

का होना आवश्यक है।"[1] जैसे स्त्री का स्त्रीत्व पुरुष की होने से सार्थक है उसी प्रकार पुरुष का पुरुषत्व भी। अतएव नारी के प्रति पारिवारीक दृष्टिकोण उदार होना चाहिए।

वास्तविक रूप में नारी घर का चेतन स्तंभ है, उसीपर घर टिका रहता है। अतः ऐसी नारी को भोग की वस्तु मानना कहाँतक उचित है ? क्या इसी में पुरुष जाति का गौरव है ? आज पुरुष नारी को देवी रूप में नहीं मानवी रूप में प्रतिष्ठित करेगा तो भी नारी उसकी ऋणी बनकर रहेगी।

## नारी के सुधार के आंदोलन :-

आधुनिक युग का नारी जागरण बाह्य दृष्टि से अधिक विस्तृत तथा अंतःदृष्टिसे अधिक गहरा था। नारी आंदोलन की जागृति देश के कोने-कोने में फैल गयी थी। शताब्दियोंसे पर्दे में अपना निष्क्रिय जीवन बिताती नारी को जागृत करके सुधारने के लिए आंदोलन हो गये। सरकारी कायदे-कानून बनाये गये। इन प्रयत्नों का प्रारंभ मध्यकाल के उत्तरार्ध में अधिक रहा परंतु उसका सही परिणाम आधुनिक काल के प्रारंभ में दिखाई देता है। आधुनिक नारी ने पुराने संस्कारों और रूढियों का जामा [लिहाज] उतारकर फेंक दिया। और वह हर क्षेत्र में अपना नाम उँचा करने लगी।

भारतीय समाज पाश्चात्य सभ्यता के द्रुत प्रसार के आलोक में राजाराममोहन रॉय, महर्षि दयानंद, केशवचन्द्र सेन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कर्वे आदि सुधारकों द्वारा आन्दोलित हो चुका था। इन सुधारकों का अनुकरण लाला लाजपतराय, लो. तिलक, बि-पाल, मं. गांधी, आगरकर, भाण्डारकर, रानडे, पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि नेताओंने समाज को नयी दिशा देने का प्रयास किया, साथ-ही-साथ नारी उध्दार का प्रयत्न भी किया। इन समाज सुधारकोंने नारी उध्दार का प्रसार एवं प्रचार करने के लिए ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन आदि की स्थापना की।

सन १८५३ में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने "विडो-री-मैरिज" पुस्तक प्रकाशित की। और विधवा के पुनर्विवाह की माँग की। वे हमेशा कहते ——————

---

१] डॉ. आशा बागडी : प्रेमचंद परवर्ती उपन्यास साहित्य में पारिवारीक जीवन :प्र. वर्ष :१९७४:पृ.:१२१.

"अगर मेरी लडकी विधवा हो गई तो मैं उसका पुनर्विवाह करूँगा और समाज के सम्मुख एक नवीन आदर्श रखूँगा।" [1] ऐसी जो पुस्तके लिखी गईं उसका आधुनिक नारी पर बहुत प्रभाव रहा है। मध्यकालीन सभी समाज सुधारकोंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का प्रबल विरोध किया।

नारी की अवस्था को सुधारने के लिए कांग्रेसने अनेक प्रयत्न किये। नॅशनल कांग्रेस की स्थापना सन. १८८५ में हुई थी। बहुत सारे प्रयत्नो के साथ नारी खुद सचेत हो गई। वह अपना अस्तित्व समाज में जमाने लगी। सन १९१७ की कलकत्ता कांग्रेस में तीन स्त्रियाँ ——एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू तथा बेगम अम्मन बीबी महत्वपूर्ण पदोंपर स्थित थीं। आन्दोलन जो पुरुषों के हाथों से जोर पकड रहे थे, अब उनमें स्त्रिया भी अपना सक्रिय सहयोग देने लगी थी। एनी बेसेंट, मार्गरिट कजिन्स, मधुलक्ष्मी रेड्डी, सरोजनी नायडू, अबला बोस आदि महिलाओं ने स्त्री-पुरुष के "समान अधिकार" का आन्दोलन चलाया।

आधुनिक परिवेश में नारी जागृति के सबसे बड़े पोषक म. गांधीजी थे, जो नारियों के पिता बनकर अवतीर्ण हुए। स्त्री को अबला-निर्बल कहना वे अक्षम्य अपराध मानते थे। उनका विश्वास था कि जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक है, स्त्रियाँ उसकी विशेष संरक्षिकाएँ है। वे स्त्री को पुरुष की गुलाम नहीं मानते, बल्कि पुरुष की अर्धांगिनी मानते थे। गांधीजी का नारी के स्थितसुप्त शक्तिपर भरोसा था ——"यदि मातायें साथ नहीं आती तो मैं सौ वर्ष प्रयत्न करके भी देश को स्वतंत्र नहीं कर सकूँगा।" [2] गांधीजी के विचारों से नारी बहुत प्रभावित हो गयी।

सन १९३० के आन्दोलन ने नारी की स्थिति में बड़ा परिवर्तन किया। आन्दोलन चलाने के पहले किसी भी देश की परिस्थिति उसके आंतरिक्त जागृति का परिणाम होती है। समाज सुधारकों के साथ नवोत्थान का युग प्रारम्भ हुआ। इस नवोत्थान के अनेक आन्दोलन चलाये, जिससे सुधार पथपर नारी तेजी से आगे बढने लगी।

---

१] साने गुरुजी : भारतीय - नारी : पृ. : २१.

२] महादेवी वर्मा : संभाषण : पृ. ९२.

नारी सुधार के लिए कानून की व्यवस्था :-

भारतीय संविधान और कानूनने नारी सुधार में सहायता की। सन १८२९ में सतीप्रथा बंद की गयी। सन १९२९ में "शारदाबिल" पास किया गया जिस में विवाह के लिए कन्या की आयु १४ और लडके की आयु १८ निश्चित की गयी और बाल विवाह के दुष्परिणामोंसे नारी को बचाया गया। सरकार द्वारा एक नहीं अनेक नियम बनायें गये। जिसके कारण स्त्री को समाज में उपयुक्त स्थान मिल रहा है। बीसवी शती में समाज सुधारकों ने अभिनव लहर विकास का अभ्युदय, उज्वल बिन्दु "स्त्री संपत्ति अधिकार" कानून द्वारा बनाये गये है ————"सन १९३३ ई. परित अधिनियम के अनुसार अविवाहित कन्या को पिता की संपत्ति का चौथा हिस्सा प्रदान किया गया है। विधवा पत्नी को पुत्र के समान अधिकार दिये गये है, तथा वह अपना हिस्सा अलग माँग सकती है। उसे अपने पुत्र के मताधिकार पर अवलंबित रहने की जरूरत नहीं है। माँ के पश्चात वहू संपत्ति की उत्तराधिकारीणी होती है। विधवा लडकी अगर पिता के पास रहती है और मृत पति के पास कोई संपत्ति न हो तो उसे अपने पिता से भरण-पोषण के लिए संपत्ति माँगने का अधिकार दिया गया है। १,२०,०००/-रुपयों की संपत्तिपर विधवा को संपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है।"[1]

सन १९५५ में "विशेष विवाह कानून" के अंतर्गत अठारह वर्ष की स्त्री और इक्कीस वर्ष का पुरुष नियम बनाये। पति की मृत्यु के बाद या स्त्री-पुरुष में कई अनबन आने के कारण दोनों में तलाक हो जानेपर ही स्त्री-पुरुष दोनोंभी दूसरा विवाह अपनी-अपनी सुविधाओं से कर सकते हैं। अर्थ के अभाव में नारी को अनेक मुसीबतों से टकराना पडता था। लेकिन इस काल में उसकी स्थिति सुधारने की दृष्टि से प्रयत्न हुए। १९३७ ई. में "भारतीय परिस्थितता अधिनियम" के अनुसार मृत पति की संपत्तिपर विधवा पत्नी का अधिकार वैध मान लिया गया। कन्या को भी उत्तराधिकारी में संपत्ति देने का कार्य सन. १९५६ के अधिनियम द्वारा पूर्ण हुआ। नारी को मताधिकार भी प्रदान किया गया। अभी तो नारी को ३० प्रतिशत जगह हर क्षेत्र में खाली रखने का अधिनियम भी जारी किया है।

---

१] के. बी. गजेन्द्रगडकर : हिन्दु कायांत स्त्रियांचे स्थान : पृ. : २०२.

इन कानूनों से नारी पूर्णत: सजग उठी। केवल भाषणों, पत्रिकाओं और उपदेशों के सहारे नारी-मुक्ति असंभव थी। उसके लिए ठोस आधार की आवश्यकता थी। कानून के द्वारा उसे वह अधिकार मिले। अनेक कुप्रथाओंपर प्रतिबंध लगाया गया। नारी में एक नई चेतना जाग उठी।

स्वातंत्र्योत्तर काल की-भारतीय नारी :-

स्वातंत्र्यता के उष:काल के साथ हिन्दू नारियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। चारों ओर नारी अपने कर्तव्य से सम्मानित हो रही है, आज वह अपना सीमित क्षेत्र छोडकर विस्तृत क्षेत्र में काम कर रही है। अपने कर्तव्य के साथ-साथ वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक, सतर्क हो रही है। आज की नारी जीवन की कठिनाईयाँ समझ सकती है, और उसीसे झगड़ना भी उन्होंने सिख लिया है। युग-युग से बंधनो की लोह श्रृंखला में जकड़ी नारीने शोषण तथा पाखण्ड के विरुद्द विद्रोह करके समाज से श्रध्दा, स्नेह और गौरव हासिल किया है। आज की भारतीय नारी उच्चतम पदोंपर आरुढ होकर राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और शिक्षा आदि क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियाँ सफलतासे निभा रही है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ [युनो] ने सन १९७५ को "अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष" घोषित किया और दुनियाभर में महिलाओं का बढ़ता महत्व दृष्टिगोचर हो गया। भारत सरकार द्वारा भी "महिला आयोग" बनाकर सामान्य नारी का भी सर ऊँचा करने की कोशिश की। परंतु सर्व साधारण स्त्री कहाँतक पहुँचती है। भारतीय नारी आज भी ऊँचे स्थानोपर बहुत कम संख्या में स्थित है, कुछ ही स्त्रियाँ है, जो अपनी जगह अद्वितीय बनी हुई है। लेकिन आम स्त्री की देहातों में तथा बडे-बडे शहरों में अनगिन संख्या में स्थित है उनका क्या ? यह बीच की दूरि बहुत गहरी दिखाई देती है। ऐसा क्यों ?

स्त्री को अधिकार प्राप्त तो हो गये फिर भी स्त्री संभ्रमावस्थामें है। परंतु स्वतंत्रता के बाद की भारतीय नारी की स्थिति में काफी अंतर आ गया है।

## शिक्षा क्षेत्र में नारी :-

आधुनिक नारी ने पहचान लिया कि शिक्षा के बिना उसकी उन्नति असंभव है। जिस प्रकार पेट के लिए रोटी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन की भूख का शमन करने के लिए शिक्षा नितान्त अनिवार्य है, यह नारी ने जान लिया। कहावत है कि "शिक्षा मानव की तीसरी आँख होती है" पढे-लिखे आदमी को त्रिनेत्री कहा जाता है। तो पुरुष के साथ नारी को भी शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। मध्यकाल में उसके लिए शिक्षा का दरवाजा बंद था। लेकिन आधुनिक काल में नारी शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। उसने अपने लडखडाते कदम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाये और अच्छे-खासे जमाये भी।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके नारी ने दिखला दिया कि वह इस क्षेत्र में पुरुष से किसी भी प्रकार कम नहीं है। शिक्षा के कारण आधुनिक नारी अधिक उन्नत, समृध्द, स्वावलंबी बन गयी है। उसे अपनी समस्यायें खुद ही किस तरह हल की जा सकती है, यह सोच-विचार करने का सामर्थ्य शिक्षाने ही उसे दिया है। शिक्षित नारी किसी भी प्रकार दूसरोंपर अश्रित नहीं रहती। वह आर्थिक दृष्टिसे भी अपने पैरों पर खडी हो गई है।

## नौकरी पेशा नारी :-

स्वातंत्र्योत्तर काल में नारी को घर से बाहर आने का मौका मिला। वह पढ-लिखकर नौकरी करने लगी। उसके पैर में अटकी हुयी परतंत्रता की बेडियाँ स्वातंत्रता के बाद छूट गईं वह अपना जिम्मा किसी के उपर डालकर किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। परंतु नौकरी पेशा नारी का घर और घर के बाहर उसका मानसिक संतुलन और शारिरीक स्वास्थ बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए समाज, उसका अपना पति और परिवार के लोग ही जिम्मेदार है। अब नारी के सम्मुख सदा यह प्रश्न रहता है कि वह घर और बाहर की स्थिति में कैसे सामंजस्य स्थापित करे ? क्योंकि भारतीय समाज पुरुषप्रधान और प्राचीन संस्कारों से ग्रस्त है। नारी कितनी भी अच्छी से अच्छी नौकरी करे घर-परिवार संभाल सके, फिर भी उसपर

आज के पुरुष अपना अधिकार जमाते हैं। और जब उसका [illegible] अपेक्षा भंग होता है तब वह नारी पर निर्मम आघात करता है, जो सहने में आज की नारी असमर्थ है। अतः परिवार में तनाव की स्थिति निर्माण होती है। नारी के साथ परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ता है। अनेक उलझनें और समस्याएँ निर्माण होती हैं।

नौकरी पेशा नारी घर-गृहस्थी और नौकरी एक साथ दो भूमिकायें अदा करते समय टूट-टूट जाती है। उनको अपने की परवरिश का ख्याल रखने के लिए समय ही नहीं रहता। नौकरी पेशा नारी का मन बेचैन-सा रहता है। उसे बार-बार अपना जीवन यंत्र जैसा लगता है क्योंकि पुरा दिन गृहिणी और आफिस के फायलों में बिता जाता है। वास्तविक रूप से उसके पति तथा परिवार के लोगों को ये समझना चाहिए कि वह नौकरी करती है तो घर का थोड़ा बहुत काम करें। आज की नौकरी पेशा नारी को केवल इतनी ही अभिलाषा है कि परिवार के अन्य सदस्य लाख विरोध करें परंतु उसका अपना पति जीवन-साथी तो उसकी अड़चनें समझ लें। समाज में ऐसे भी पुरुष पति है जो चाहते हैं कि पत्नी नौकरी करें, परंतु किसी को सहकारी मित्र न बनायें। जब कभी वह घर में अपने सहकारी-मित्रों की प्रशंसा करती है, तब पति का मानसिक संतुलन बिगड़ता है।

अर्थात आधुनिक परिवेश में रहकर भी पुरुष अपने को बदल नहीं सका, तो नौकरी पेशा नारी को हर-एक से मुकाबला करके नौकरी करनी पड़ती है। स्पष्ट है ———"आर्थिक बोझ के सँभालनेपर भी आज उसके प्रति पुरुष के अन्याय, अत्याचार, प्रताडना में कमी नही।" [1]

समस्याएँ हल करने के लिए कुछ सुझाव :-

पति का सहयोग -

नौकरी के कारण घर के सारे कामकाज कर पाना स्त्री के लिए असंभव है। अतः घर का थोडा-बहुत जिम्मा उठा लेना पुरुष का भी कर्तव्य है। घर में बहुत कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो पति कर सकें। परंतु घर के कामकाज करते वक्त उसे कहीं भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके पौरुषत्व पर आँच आ

---

1] उमेश माथुर : आधुनिक युग की हिन्दी लेखिकाएँ : प्र. वर्ष : १९७५ : पृ. : ३२८.

रही है। स्त्री-पुरुष के साथ घर के बाहर नौकरी कर सकती है तो उसी के साथ घर में उसे मदद करना पुरुष का अपना कर्तव्य है ।

नव-नविन यंत्र :-

आधुनिक परिवेश में अनेक नव-नविन यंत्र-सामग्री आ गई है। जो रसोई - घर में नारी के लिए उपयोगी हो सकती है। फ्रिज , गीझर , मिक्सर, प्रेशर कुकर जैसे अनेक यंत्रो की सहायता से वह कम समय में ज्यादा काम कर सकती है। परंतु ये सुख-सुविधाएँ शहर में उच्चवर्गीय और मध्यमवर्गीय परिवार में अधिक पायी जाती है। निम्नवर्गीय परिवार में ऐसी किमती वस्तुएँ लेना नामुमकिन हो जाता है।

संगोपन गृह :-

स्वतंत्रता के पूर्व संयुक्त परिवार थे। परंतु आज संयुक्त-परिवार छोटे-छोटे परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं। संयुक्त परिवार में नौकरी-पेशा नारी को बच्चों तथा घरेलू काम की चिन्ता नहीं रहती। आज संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। अतः एव नारी के उसके अपने ही बच्चे अपने लिए एक समस्या बन गई है। तब ऐसी अवस्था में उनकी कार्यशक्ति कम हो जाती है । ऐसे बच्चों के लिए संगोपन गृह की व्यवस्था की जाय तो उन्हें कौटुंबिक वातावरण मिले ।ोे और नारी की यह समस्या भी हल हो जाएगी।

विवाह एवं तलाक संबंधी समस्याएँ :-

स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे अनेक नियम बनायें गये हैं , जिनसे नारी को वैवाहिक जीवन में भी आश्रय मिला है। बाल-विवाहपर कानूनी तौरपर बंधन लगाया गया है। विधवाओं के पुनर्विवाह को भी मान्यता मिली है। सन १९५६ में "द्विभार्या प्रतिबंध" कानून पास किया गया। सन १९६१ में " दहेज प्रथा पर प्रतिबंध" लगाया गया। नारी को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ। कई नारियाँ स्वेच्छा

से करारात्मक विवाह भी कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि कानून, सभ्यता तथा शिक्षाने नारी को स्वतंत्र किया। फिर भी नारी की सभी समस्याएँ सुलझ नहीं पायी। कुछ समस्याओं ने तो आज भी भयंकर विकराल रूप धारण किया है।

लडकियों के विवाह में दहेज एक-समस्या :-

प्राचीन परंपरा से चली आई दहेज की प्रथा मध्य काल में अधिक बढ़ गई थी। मध्यकाल में कन्या का होना अशुभ माना जाता था --------"कन्या का आविर्भाव हो गया तो उसका होश सँभालने के पूर्व ही किसी को सौंप दिया जाता था।" [१] अथवा उसका गला घोंट दिया जाता था। आज भी गर्भवती स्त्री के कोख में ही बालक का सेक्स जान लिया जाता है और लडकी हो तो गर्भपात किया जाता है। शिक्षित नारी भी कन्या के जन्म से निराश होती है। तो इसके बारे में स्त्री अंक में शालिनी मेनन ने लिखा है ---------"वास्तविक रूप में हमें जीने का हक देनेवाले राजाराममोहन राय की हम कन्याएँ है परंतु पितृऋण हम अभीतक अदा नहीं कर पायी।" [२]

स्त्री को दोष देना कहाँ तक उचित है ? कन्या का जन्म अशुभ माना जाता है। क्योंकि वह विविध प्रश्न खड़े कर देती है और उसे पराये घर की संपत्ति मानी जाती है। और सबसे प्रमुख है दहेज प्रथा। आज भी दहेज के नामपर लडकी माता-पिता के सिर का बोझ बन जाती है।

आज हम समाचार पत्रों में हमेशा पढ़ते है, दहेज के लिए पत्नी की हत्या, सुशिक्षित युवक भी दहेज की खातिर पत्नी का जीना हराम कर देते है। आज दहेज विरोधी काफी अंदोलन चल रहे है। कुछ नारियाँ भी इसमें क्रियाशील है। लेकिन शिक्षित युवक-युवतियों को दहेज लेन-देन में इन्कार करना चाहिए तो कुछ न कुछ दहेज समस्या पर प्रबंध लग जायेंगे।

आधुनिक परिवेश में लडकी का विवाह एक समस्या बन गयी है। माता-पिता के सोचने तथा चिंता करने का विषय बन गयी है। दहेज प्रथा का निर्मूलन केवल कानून

---

१] आशा बागडी : प्रेमचंद परवर्ती उपन्यास साहित्य में पारिवारिक जीवन : प्र. वर्ष : १९७४ : पृ. : ७९.

२] शालिनी मेनन : स्त्री अंक : अक्तूबर ८२ : पृ. : ३६.

से होना असंभव है। इसके संबंध में अनुसया लिमये का महत्वपूर्ण कथन है ———— "सिर्फ कानून से दहेज समस्या का उच्चलन असंभव है। इसके लिए लोक शिक्षण की नितान्त आवश्यकता है।" १

अति-शिक्षित लडकियों का विवाह एक समस्या :-

आधुनिक काल में सभी क्षेत्रों में नारी ने अपना सिर उठा लिया है। लेकिन वैवाहिक जीवन में वह बहुत पीछे रह गई है। अति-शिक्षित नारी का विवाह एक समस्या बन गई है। क्योंकि पुरुष की यह चाहत है कि पत्नी अपने से सभी क्षेत्रों में पिछे रहनी चाहिए, चाहे [illegible] शिक्षा हो या संगीत कला। पुरुषों को आज भी लगता है कि पत्नी केवल पत्नी बनकर रहे। घर में अपनाही वर्चस्व रहे। तो इसी कारण युवक अपने "अंह" को तुष्ट रखने के लिए अति-शिक्षित लडकियों से विवाह करने के लिए झिझकते हैं। अतः शिक्षित लडकी के माता-पिता के सम्मुख नया प्रश्न निर्माण हो रहा है —— क्या लडकी को पढ़ाकर कला सम्पन्न बनाकर हमने कोई गलति तो नहीं की ?

अगर अति-शिक्षित लडकियों के विवाह में ऐसी कुछ कल्पनायें को खाद-पाणी देंगे तो स्त्री जातिपर अन्याय हो जायेगा। उनके माता-पिता उसे पढ़ने-लिखने तक ही शिक्षित करेंगे। वास्तविक रूप में शिक्षित पत्नी मिले तो पुरुष को स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। शिक्षित पत्नी-पति के हर सुख-दुःख में सहयोगी हो जाती है। शिक्षित मातायें बच्चों का भविष्य उज्वल बनाती है। अगर युवक वर्ग संकुचित दृष्टिकोन से बाहर निकलकर थोडा उदार दृष्टिकोन अपनायेगा तो यह समस्या सुलझाने में देर नहीं लगेगी।

समाज रूप तथा सौंदर्य का पुजारी :-

आज कल के जमाने में कुरुप तथा काली लडकियों का विवाह एक बड़ी से बड़ी समस्या बन गई है। लडकी मन से कितनीही कुरुप हो लेकिन तन से मात्र

---

१] अनुसया लिमये : स्त्री का समाज में स्थान : पृ.: ५६. व भूमिका.

कुरूप न हो। क्योंकि विवाह के समय लड़कियों के गुण नहीं रूप-सौंदर्य को देखा जाता है। कुरूप लड़की की सिर्फ विवाह यह एक समस्या नहीं है। उनके जीवन में अनेक समस्याएँ आती है। वह घरवालों की भी एक समस्या बन जाती है। उससे घर में भी कटु व्यवहार किया जाता है। रजनीजी ने अपने "काली लड़की" उपन्यास में रानी काली है तो घरवाले उसी के साथ कैसा व्यवहार करते है। इसका उदा. दिया है, रानी कहती है ——"मुझे हीन समझकर दीदी और माँ की उतरन दे दी जाती। जिस दिन कमलबाबू दीदी को देखने आये मुझे बाहर जाने की मनाई कर दी गई थी। माँ नहीं चाहती थी कि मेरी छाया भी कमल देख पाये। उन्हे डर था कि कहीं काली साली देखकर वह यह न समझे कि कावेरी उनकी बेटी नहीं किसी की माँगी की लड़की दिखला दी गई है।"[1]

विवाह में लड़की का रूप देखा जाता है, पुरूष का नहीं। क्योंकि पुरूष की करतूत देखी जाती है। आधुनिक काल में नारी शिक्षित है, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर है फिर उसके करतूत और गुणों की कद्र क्यों नहीं की जाती ? केवल भाषणों, पत्रिकाओं में ढिंढोरा पीटा जाता है ——"नारी पुरूष सब समान"। परंतु इसे व्यवहार में लाने को न जाने कितना समय लगेगा।

## प्रेम-विवाह या आंतर्जातीय विवाह :-

एक जमाना ऐसा था जब किसी पिता की पुत्री, किसी पिता के पुत्र के साथ उठ ही जुड़ जाती थी। फिर वह पुत्र शराबी हो, जुआरी हो, अच्छा हो या बुरा, जुल्मी हो या दयालु सारी जिंदगी उसके चरणों में समर्पित करणा उसकी मजबूरी थी। परंतु आज लड़कियों को काफी स्वतंत्रता मिली है। वह अपने होनवाले पति को विवाह के पूर्व देख सकती है। अगर वह उसे पसंद नहीं है। तो नकार सकती है। लेकिन आंतर्जातीय-विवाह को मान्यता देने के लिए माता-पिता आज भी झिझकते है। परंपरागत लकीर को तोड़ना उन्हे असंभ हो जाता है। यद्यपि सरकार द्वारा ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

---

१] रजनी पनिकर : काली लड़की : पृ. : ७.

फिर भी समाज ऐसे विवाह से घृणा करता है। इसीकारण ऐसा विवाह करने के लिए बहुत कम युवक-युवती राजी होते हैं। परंतु आज इस दिशा में बहुत-कुछ युवक-युवतियाँ कदम उठाने का साहस दिखला रहे है।

प्रेम-विवाह संपन्न हो जाते है। अनेक अडचनों के बाद भी कुछ लडकियाँ ऐसा विवाह करने का साहस दिखलाती है। परंतु ऐसे लडके-लडकियों को सदा-सदा के लिए अपना घर दूर हो जाता है। अपने भी पराये बन जाते है। क्योंकि समाज प्राचीन संस्कारों से ग्रस्त है। अतएवं उन्हे ऐसे विवाह पचाने में और कुछ समय लगेगा। परंतु सभी प्रेम-विवाह सफल होते है ऐसा नहीं अगर प्रेम में वासना की मात्रा ज्यादा रहती है , तो विवाह के पश्चात यह कृती नष्ट होती है और विवाह के पवित्र बंधन उन्हे बडे भारी महसूस होने लगते है। ऐसा दृश्य देखने पर समाज को अतीव संतोष मिलता है। अतः इसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं — प्रेम विवाह बुरा नहीं परंतु उस प्रेम में वासना का नहीं होना चाहिए।

आंतर्जातीय-विवाह और प्रेम-विवाह में रोड़ा अटकाने की अपेक्षा स्वखुशी से ऐसे विवाह संपन्न करने में योग देना चाहिए। प्रेम-विवाह तथा आंतर्जातीय विवाह से दहेज जैसी समस्या भी हल हो जायेगी। और उस में लडके-लडकी का हित है तो भला रोड़ा अटकाने [illegible] से क्या लाभ। विवाह करनेवाले युवक-युवतियों को ध्यान में रखना चाहिए कि विवाह एक पवित्र संस्कार है। अर्थात एक-दूसरे को समझ परख कर जुड़ने में ही समझदारी है।

विधवा- विवाह समस्या :-

राजाराममोहन रायजीने सति प्रथा बंद की। तो ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के अथक परिश्रम से सन १८५६ में विधवाओं के पुर्नविवाह को कानूनने मान्यता दे दी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने "विडो-रीमैरिज" पुस्तक प्रकाशित की , और वे हमेशा कहते ————"अगर मेरी लडकी विधवा हो गई तो मैं उसका पुनर्विवाह करुँगा और समाज के सन्मुख एक नवीन आदर्श रखूँगा।" [१] महर्षि कर्वेजीने तो स्वयं एक एक विधवा के साथ विवाह करके समाज के सामने एक नया आदर्श खड़ा किया।

---

१] साने गुरुजी : भारतीय नारी : पृ.:२१

मध्यकाल में विधवाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी। घर की अंधेरी कोठरी में उसे बंद किया गया था। परंतु आधुनिक परिवेश में विधवाओं की स्थिति में काफी अंतर आ गया है। आज कतिपय विधवाएँ वैधव्य में घुट-घुटकर जीना पसन्द नहीं करती अपनी स्वाभाविक वृत्तियों को दबाना नहीं चाहती। कुछ विधवाएँ आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनकर किसी एकाद पुरुष के साथ जुड़ भी जाती है।

परंतु खेद की बात यह है कि विधवाओं के पुनर्विवाह की समस्या पूर्णतः सुलझ नहीं पायी। क्योंकि विधवाओं को हृदय से वरण करने के लिए पुरुष राजी नहीं होते। कोई एकाद जरूरत मंद ही ऐसा साहस दिखाता है। साथ ही विधवा नारियाँ भी ऐसा साहस करने में हिच-किचाती है। फलतः वैधव्य का कफन ओढे जिन्दगीभर घुटती रहती है।

अर्थात आज भी विधवाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण पूर्णतः बदल नहीं पाया। कुछ परिवारों में तो उनकी स्थिति मध्यकाल के समान ही है। संविधान में उनकी स्थिति जितनी सुधरी-सँवरी प्रतीत होती है, व्यवहारिक जीवन में उतनी अच्छी नहीं है। केवल मध्यकाल की तुलना में उनकी स्थिति सँभल रही है ऐसा हम कह सकते है।

तलाक समस्या :-

तलाक एक ऐसी समस्या है कि पति-पत्नी की जिंदगी बिखर जाती है। यह सोच-समझकर भी स्त्री-पुरुष तलाक लेते हैं। क्योंकि पति-पत्नी में कोई न कोई अनबन रहती है। व्यभिचार, धर्मांतर विवाह के पश्चात पर-संबंध स्थापित करना पागलपन, गुप्त संक्रामक, यौनिक रोगों का शिकार, सात साल तक लापता ह रहनेपर घर में सास-ससूर या पति से छल आदि कारण रहनेपर न्यायिक पृथक्करण की माँग की जा सकती है। यह माँग पति-पत्नी दोनों भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विवाह के पश्चात पति से बलात्कार, मैथुन संबंधि कोई अपराध हो गया तो पत्नी न्यायिक पृथक्करण की माँग कर सकती है। न्यायालय से तलाक की अनुमति मिलने के पश्चात वादी-प्रतिवादी को पुनर्विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। अत एव अब तक विवाह एक अविच्छेद संस्कार था, परंतु आज हिन्दू समाज के सभी वर्गों के लिए

वैध है।

तलाक का अधिकार पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है। परंतु आज तलाकने नूतन समस्या का रूप धारण किया है। आधुनिक परिवेश में शिक्षित नारी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन गयी है। फलस्वरूप अपने व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के प्रति जागरूक एवं सजग है। पति के सामने झुकना उसके "अहं" को धक्का पहुँचता है और दूसरी ओर पुरुष भी परंपरागत संस्कारों को छोड नहीं पाता। पत्नी का उभरता व्यक्तित्व पचाने में असमर्थता का अनुभव करता है। परिणाम-स्वरूप तनाव निर्माण होता है। यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग रहना पसंद करते हैं। कानून ने "तलाक" की व्यवस्था की है। अत: "समझौते" की अपेक्षा "तलाक" का मार्ग अपनाते हैं।

तलाक लेने के बाद भी नारी का उर्वरित जीवन सुखी होगा ऐसा नहीं है। क्योंकि "तलाक" लेने के बाद पुरुष दूसरी नारी के साथ झट से जुड़ जाता है। परंतु नारी को अनेक समस्याओं से गुजरना पडता है। तलाक-शुदा नारी के साथ विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पहले पति को छोडनेवाली नारी के प्रति देखने का दृष्टिकोन बदल जाता है। समाज की दृष्टि में वह गिर जाती है। इस में अगर उसको पहले पति की सन्तान हो तो उसका जीना हराम होता है। अर्थात नारी कितनी भी स्वावलंबी हो, और आत्मनिर्भर हो, उसे समझौते से नफरत नहीं करनी चाहिए। भारतीय समाज में ऐसी नारियों की संख्या अत्यल्प है। अत: स्त्री-पुरुष दोनों को एक-दूसरे को झुकाने के लिए या अपने "अहं" को तुष्ट करने के लिए तलाक का सहारा लेना उचित नहीं है।

तलाक के बारे में इतना ही कहना उचित है कि तलाक यानि समझौते को नकारना नहीं साथ ही अन्याय को सतत बर्दाश्त करने से अन्यायी को छूट मिल जाती है, तो तलाक श्रेयस्कर मार्ग है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में नारी का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उत्कर्ष नजर आता है। लेकिन नारी का यह गौरवमय स्थान मध्यकाल में पतन की ओर झुक गया। पुरुष की अहंता-प्रधान प्रवृत्तिने नारी का गौरव अधिक समय तक स्वीकार नहीं किया। उसे सामाजिक बंधनों की बेडियाँ डालकर चार दीवारी में बंद कर दिया गया। लेकिन विदेशियों के आगमन के साथ नारी के भाग्य ने करवट ली। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन थियोसोफिकल सोसायटी आदि संस्थाओंद्वारा नारी सुधार के लिए विशेष प्रयत्न किये गये। अनेक समाज-सुधारकोंने नारी के चारों ओर लिपटी कु-प्रथाओं की जंजीरे तोडकर उसे मुक्त करने का बीड़ा उठाया। शिक्षा के हर द्वार उनके लिए खुले किये गये। और वर्षों से बंदिनी नारी को मुक्त किया। उनकी अनेक समस्यायें कानूनद्वारा और नारी स्वतंत्रता अंदोलनोंद्वारा सुलझाने के प्रयास किये गये। भारतीय नारी को खुली हवा में साँस लेने का मौका दिया गया।

लेकिन खेद की बात यह है कि आधुनिक परिवेश में भी समाज एवं पुरुष-वर्ग का नारी के प्रति देखने का दृष्टिकोण काफी उदार नहीं है। कानून और सभ्यताने नारी को आश्रय दिया, फिर भी आज कीनारियों के सामने अनेक समस्याएँ है। दहेज प्रथा, अतिशिक्षित लडकियों का विवाह एक समस्या, समाज धन का पुजारी, तलाक समस्या, विधवा विवाह समस्या, नौकरी पेशा नारी की समस्या और प्रेम विवाह या अंतर्जातीय विवाह समस्या आदि। इतनी सारी समस्याएँ होते हुए भी मध्यकाल की अपेक्षा आधुनिक परिवेश में नारी की स्थिति सँभल गयी है। लेकिन जबतक समाज और पुरुष-वर्ग उसके प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपनायेगा तबतक नारी सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो पायेगी।

स्वातंत्र्य के पश्चात आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी नारियाँ अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग हो उठी है। वह इन सभी संघर्षों से जुझकर अपना जीवन-यापन अच्छी तरह चला रही है। लेकिन कुछ नारियाँ ऐसी भी है, जो पश्चिमी संस्कारों और आधुनिक सभ्यता से ग्रस्त है। और अपने "अहं" को खाद-पानी देकर अपने जीवन में असफल होती है। ऐसी

नारियों के दर्शन नगरों, महानगरों में ही दिखाई देते हैं। वह भी बहुत कम ही दिखाई देते है।

अंत में यह कहना उचित है कि आधुनिक परिवेश की नारी पश्चिमी संस्कारों से ग्रस्त होने पर भी वह अपनी भारतीयता की नींव नहीं तोड सकी।

x—x—x—x—x
x—x—x—x
x—x—x
x—x
x